छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर - 208024
(पूर्ववर्ती कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर)
Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur - 208024
(Formerly Kanpur University, Kanpur)

सीएसजेएमयू/वीसीसी/983/2023
दिनांक 28 मार्च, 2023

प्रो. विनय कुमार पाठक
कुलपति
Prof. Vinay Kumar Pathak
Vice Chancellor

सेवा में,

1. समस्त कुलपति राज्य/निजी/तकनीकी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, भारत सरकार।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष/निदेशक, उ0प्र0।
4. समस्त कुलसचिव राज्य/निजी/तकनीकी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा/बेसिक/माध्यमिक/समस्त बेसिक शिक्षाधिकारी, उ0प्र0।
7. समस्त निदेशक/कार्यालयाध्यक्ष, निजी संस्थान।

विषयः– **जनहित गारंटी अधिनियम से आच्छादित सेवा 'राज्यों के शैक्षिक संस्थाओं के प्रमाण–पत्रों एवं उपाधियों का सत्यापन' को ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय/महोदया,

कृपया अवगत कराना है कि मा0 राज्यपाल, उत्तर प्रदेश द्वारा छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के 37वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर दिनांक–22.03.2023 को Student Educational Documents Verification Portal (www.csjmu.ac.in) का शुभारम्भ किया गया है। इसी कम में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्याः 1115/सत्तर–1–2022–16 (19)/2021, दिनांकः 11.04.2022 एवं पत्र संख्याः 1692/सत्तर–1–2022–16(19)/2021, दिनांकः 19.05.2022 के द्वारा जनहित गारंटी अधिनियम से आच्छादित सेवा '**राज्यों की शैक्षिक संस्थाओ के प्रमाण–पत्रों और उपाधियों का सत्यापन**' को उक्त पोर्टल के माध्यम से प्रारम्भ कर दिया गया है।

उपर्युक्त सेवा के अन्तर्गत पोर्टल के माध्यम से विश्वविद्यालय से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों में उतीर्ण छात्रों के शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन करने हेतु सम्बन्धित विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्ष/नियोक्ताओं/सरकारी एव निजी संस्थानों से सत्यापन सम्बन्धी ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किये जा रहें है, तदक्रम में विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षिक अभिलेखों के ऑनलाइन सत्यापन के उपरान्त सत्यापन–पत्र डिजिटल रूप में ही निर्गत किये जाने है। ऑनलाइन माध्यम से प्रदान की जा रही उपर्युक्त सेवा से सम्बन्धित प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की अधिकृत वेबसाइट www.csjmu.ac.in के होम पेज पर उपलब्ध है।

अतः उ0प्र0 सरकार की जनहित गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत उच्च शिक्षा विभाग उ0प्र0 की उपर्युक्त अधिसूचित सेवा समस्त हितधारकों तक सर्वसुलभ हो एवं उक्त सेवा के माध्यम से पारदर्शिता व गतिशीलता सुनिश्चित की जा सके इस हेतु अनुरोध है कि कृपया अपने व अपने अधीनस्थ समस्त प्राधिकारियों को उक्त सेवा से जुड़ने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें जिससे विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण समस्त छात्र–छात्राओं के शैक्षणिक अभिलेखों के सत्यापन सेवायोजकों द्वारा आवश्यकतानुसार ऑनलाइन आवेदन कर प्राप्त किये जा सकें। विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक अभिलेखों के सत्यापन हेतु Student Educational Documents Verification Portal (www.csjmu.ac.in) के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किये जायेंगे।

अतः उपरोक्त से अवगत होते हुए अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(प्रो० विनय कुमार पाठक)
कुलपति

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश को सादर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, शासन, लखनऊ।
3. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
4. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय/संस्थान।

सर्व कुलपति अभियान
सब पढ़े सब बढ़े

कार्यालय/Office : +91-512-2581280
फैक्स/Fax : +91-512-2581280
ई.मेल/E-mail : vcocsjmu@gmail.com
वेबसाईट/Website : www.csjmu.ac.in